राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः–प.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट जयपुर, दिनांकः– 03 JUN 2025

स्पष्टीकरण

वित्त (नियम) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.03.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में किसी पद के लिये स्वीकृत पे–लेवल में दिनांक 01.04.2023 के पश्चात संशोधन हो जाने के फलस्वरूप एमएसीपी योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन के पे–लेवल में **उक्त संशोधन होने की दिनांक को प्राप्त अन्तिम एमएसीपी** के पे–लेवल में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अध्यधीन संशोधित किये जाने के संबंध में जारी किया गया था।

एमएसीपी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन को संशोधित किये जाने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 10.03.2025 के क्रम में वित्त विभाग के यह ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एमएसीपी का पे–लेवल दिनांक 01.09.2024 से संशोधित किये जाने के स्थान पर दिनांक 01.04.2023 से संशोधित किये गए/जा रहें है, जो नियमानुसार नहीं है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.03.2025 की सही रूप से क्रियान्विति हो सके एवं अनियमितता न हो इसलिये समस्त विभागों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2025 के क्रम में एमएसीपी योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के **अन्तिम पे–लेवल (9 वर्ष/18 वर्ष/27 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो) में संबंधित पद के पे–लेवल में दिनांक 01.04.2023 के पश्चात संशोधन को प्रभावी किये जाने की दिनांक से** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधानों के अध्यधीन संशोधित किया जायेगा।

उदाहरणार्थ– वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का दिनांक 01.09.2024 से पे–लेवल एल–1 से उच्चीकृत कर एल–2 किया गया है। अतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के कार्मिक का एमएसीपी योजना के तहत स्वीकृत अन्तिम पे–लेवल (9 वर्ष/18 वर्ष/27 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो) दिनांक 01.09.2024 से संशोधित किया जायेगा। दिनांक 01.09.2024 के स्थान पर यदि विभाग द्वारा किसी पूर्ववती दिनांक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एमएसीपी के पे–लेवल संशोधित किये गए हैं, तो ऐसे आदेशों को अविलम्ब प्रत्याहारित कर संशोधित आदेश जारी किये जावें तथा पूर्व में नियम विरूद्ध जारी किये गए आदेशों के फलस्वरूप किये गए अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही की जावे।

(देबाशीष पुष्टी) 2/6/25
प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

2/6/25

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–।

(RCS(RP)2017 – 03 /2025)